भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2394

(जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।)

"दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों हेतु जीएसटी में छूट"

2394. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों से संबंधित उत्पादों के लिए कोई लाभ और छूट प्रदान की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) नई आयकर व्यवस्था में दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए उनके लिए कर में छूट और कटौती का ब्यौरा क्या है;
(ग) दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए निजी बीमा कंपनियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन शुरू करने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान जीएसटी परिषद द्वारा दिव्यांगता सेवाओं और उत्पादों पर प्राप्त जीएसटी संग्रह का राज्य-वार और दिव्यांगता-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क): हां, दिव्यागंजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए अधिकांश निर्दिष्ट सहायक उपकरणों, पुनर्वास सहायता और अन्य वस्तुओं पर 5% की रियायती जीएसटी दर (अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न सूची) लागू होती है, जबकि कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी जाती है। इसके अलावा, दिव्यागंजनों के पुनर्वास, उपचार और देखभाल से संबंधित कुछ सेवाओं को भी जीएसटी से छूट प्रदान की गई है, जो संबंधित अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

(ख): नई आयकर व्यवस्था के तहत दिव्यागंजनों के लिए कर में छूट और कटौतियों का विवरण अनुलग्नक-II में संलग्न है।

(ग): भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने दिव्यागंजनों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए निजी बीमा कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने वाली कोई स्कीम शुरू नहीं की है। तथापि, इसने परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/सीएलआर/एमएलएससी/58/2/2023 दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से अधिसूचित दिव्यांगजनों के लिए आदर्श उत्पाद के अनुसार सभी सामान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को यह अधिदेशित किया है कि वे दिव्यागंजनों के लिए कम से कम एक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद की पेशकश करें।

(घ): दिव्यांगता सेवाओं और उत्पादों पर प्राप्त जीएसटी संग्रह का ब्यौरा, जिस प्रकार से मांगा गया है, अलग से नहीं रखा जाता है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 03.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2394 के भाग (क) का उत्तर देखें

- दिव्यांगजनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सहायक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की सूची पर 5 प्रतिशत की रियायती जीएसटी दर

क) आर्थोपेडिक उपकरण, जैसे बैसाखी, सर्जिकल बेल्ट और ट्रस; और अन्य फ्रैक्चर उपकरण; शरीर के कृत्रिम भाग; अन्य उपकरण जो किसी दोष या दिव्यांगता की भरपाई के लिए पहने जाते हैं या ले जाते हैं, या शरीर में प्रत्यारोपित किए जाते हैं; इंट्राओकुलर लेंस

ख) (1) ब्रेल राइटर्स और ब्रेल राइटिंग यंत्रों

(2) हस्तलेख उपकरण ब्रेल फ्रेम्स, स्लेट, लेखन गाइड, स्क्रिप्ट लेखन गाइड, स्टाइली, ब्रेल इरेज़र

(3) छड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण जैसे सोनिक गाइड

(4) ऑप्टिकल, पर्यावरणिक सेंसर

(5) टेलर फ्रेम (अंकगणित और बीजगणित प्रकार), क्यूबेरिथम, स्पीकिंग या ब्रेल कैलकुलेटर जैसे अंकगणितीय सहायक उपकरण

(6) संयुक्त ग्राफ और गणितीय प्रदर्शन बोर्ड, ब्रेल प्रोट्रैक्टर, स्केल, कंपास और स्पर व्हील जैसे ज्यामितीय सहायक उपकरण

(7) इलेक्ट्रॉनिक माप उपकरण, जैसे कैलीपर्स, माइक्रोमीटर, कम्पेरेटर्स, गेज, गेज ब्लॉक स्तर, नियम, रूलर्स और यार्डस्टिक

(8) ड्राफ्टिंग, ड्राइंग सहायक सामग्री, टैक्टाइल डिस्पलेज

(9) विशेष रूप से अनुकूलित घड़ियाँ और घड़ियाँ

ग) (1) पहली अनुसूची के शीर्षक संख्या 87.13 के अंतर्गत आती हैं व्हील चेयर

(2) दिव्यांगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रो फिटमेंट किट

घ) कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक स्वरयंत्र और उसके पुर्जे

ङ) कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक ईयर (कॉक्लियर इम्प्लांट)

च) (1) टॉकिंग बुक्स (कैसेट, डिस्क या अन्य ध्वनि प्रतिकृतियों के रूप में) और बड़े-प्रिंट वाली किताबें, ब्रेल एम्बॉसर, टॉकिंग कैलकुलेटर, टॉकिंग थर्मामीटर

(2) ब्रेल और रिकॉर्ड की गई सामग्री जैसे ब्रेल कंप्यूटर टर्मिनलों और डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल, ट्रांसफर और प्रेसिंग मशीनों और स्टीरियो टाइपिंग मशीनों के यांत्रिक या कम्प्यूटरीकृत उत्पादन के लिए उपस्कर

(3) ब्रेल पेपर,

(4) उपकरण, उपकरण सहित सभी मूर्त उपकरण, विशेष रूप से नेत्रहीनों द्वारा उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए

(5) नेत्रहीनों की गतिशीलता में सुधार के लिए सहायक सामग्री जैसे इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास और बाधा का पता लगाने वाले उपकरण और सफेद छड़ी

(6) नेत्रहीनों की शिक्षा, पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के लिए तकनीकी सहायता जैसे ब्रेल टाइपराइटर, ब्रेल घड़ियां, शिक्षण और सीखने की सहायक सामग्री, खेल और अन्य उपकरण और विशेष रूप से नेत्रहीनों के उपयोग के लिए अनुकूलित व्यावसायिक सहायक उपकरण

(7) सहायक श्रवण उपकरण, ऑडियोमीटर

(8) बाहरी कैथेटर, बिस्तर पर लगातार रहने के कारण हुए घावों को रोकने के लिए विशेष जेली कुशन, सीढ़ी लिफ्ट, मूत्र संग्रह बैग

(9) गंभीर रूप से शारीरिक रूप से दिव्यांग रोगियों और जोड़ों के प्रतिस्थापन और रीढ़ की हड्डी के उपकरणों और अस्थि सीमेंट सहित प्रत्यारोपण के लिए उपकरण और प्रत्यारोपण।

छ) दिव्यांगजनों के लिए गाड़ी, चाहे मोटर चालित हो या अन्यथा यांत्रिक रूप से चालित हो।

ज) दिव्यांगजनों के लिए गाड़ियों के पुर्जे और सहायक उपकरण।

झ) बैसाखी, व्हीलचेयर, वॉकिंग फ्रेम, तिपहिया साइकिल, ब्रेलर और कृत्रिम अंगों के हिस्से।

ञ) सीट-स्टिक सहित चलने वाली लाठी।

ट) दृष्टि को सही करने के लिए काले चश्मे सहित दृष्टि सुधार चश्मे।

- दिव्यांगजनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सहायक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की सूची पर 5 प्रतिशत की रियायती जीएसटी दर

ठ) श्रवण यंत्र।

ड) श्रवण यंत्रों के निर्माण के लिए पुर्जे।

अनुलग्नक-II

दिनांक 03.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2394 के भाग (ख) का उत्तर देखें

नई आयकर व्यवस्था के तहत कर छूट और कटौतियों का विवरण

आयकर अधिनियम, 2025 (अधिनियम) की धारा 202 के तहत नई कर व्यवस्था को कम स्लैब दरों, उच्च मानक कटौतियों और उदार कर छूट के माध्यम से पर्याप्त कर राहत और सरलीकृत अनुपालन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दिव्यांगजनों सहित नई कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध सामान्य लाभ इस प्रकार हैं:

1. सरलीकृत **कर** स्लैब और कम दरें

आमदनी	दर
₹4,00,000 तक	शून्य
₹4,00,001 से ₹8,00,000	5%
₹8,00,001 से ₹12,00,000	10%
₹12,00,001 से ₹16,00,000	15%
₹16,00,001 से ₹20,00,000	20%
₹20,00,001 से ₹24,00,000	25%
₹24,00,000 से ऊपर	30%

2. बढ़ी हुई छूट के माध्यम से **₹12,00,000** तक की कर-मुक्त आय

धारा 156(2) के तहत, नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले निवासी व्यक्तियों को आपवदिक रूप से उच्च कर छूट मिलती है। यदि आय ₹12,00,000 से थोड़ी अधिक हो जाती है तो सीमांत राहत भी प्रदान की जाती है।

3. वेतनभोगी करदाताओं के लिए बढ़ी हुई मानक कटौती

नई व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों को ₹75,000 (या वेतन की राशि, जो भी कम हो) की उच्च मानक कटौती का लाभ मिलता है।

4. पारिवारिक पेंशन पर उच्च मानक कटौती

यह कटौती प्राप्त पारिवारिक पेंशन का एक तिहाई या ₹25,000, जो भी कम हो, है।

विशेष रूप से **दिव्यांगजनों** के लिए नई कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध लाभ

1. सशस्त्र बल **दिव्यांगता** पेंशन की छूट **(**अनुसूची **III,** क्रम संख्या **38**क**):**

केंद्र के सशस्त्र बलों या अर्ध सैनिक बलों के उन सैनिकों जो सेवा के दौरान या सेवा की प्रकृति के चलते दिव्यांग हो गए हों, द्वारा प्राप्त दिव्यांगता पेंशन कर से पूर्णतः मुक्त है।

2. क्लबिंग से बहिष्करण**:**

अधिनियम के तहत, एक नाबालिग बच्चे की आय को माता-पिता की आय के साथ जोड़ा जाता है जो अधिक कमाते हैं। हालांकि, यदि नाबालिग बच्चा धारा 154 में निर्दिष्ट प्रकृति की दिव्यांगता से पीड़ित है, तो उनकी आय को क्लबिंग से बाहर रखा गया है और धारा 99 (1) (ग) (iii) के प्रावधानों के अनुसार अलग से निर्धारण किया जाता है।